संख्या-33/2015/5807/नौ-5-2015-141बजट/2015

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 03 नवम्बर, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजनाओं के डी.पी.आर. विरचन हेतु अग्रिम धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम के पत्र संख्या-567/म0प्र0नि0-8/जी-8-62/07, दिनांक 31 जुलाई, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न योजनाओं /कार्यक्रमों (स्मार्ट सिटी मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन, एनजीआरबीए, नमामि गंगे तथा विश्व बैंक से प्रस्तावित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजनाओं) के अन्तर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजनाओं के डी.पी.आर. विरचन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 के नगरीय ठोस **अपशिष्ट प्रबन्धन** के मद (माइनर हेड-191) में प्रावधानित धनराशि ₹ 25.00 करोड़ के सापेक्ष ₹ 10.00 करोड़ (₹ दस करोड़ मात्र) की अग्रिम धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम/उ0प्र0 जल निगम को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) स्वीकृत अग्रिम धनराशि का समायोजन विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों (स्मार्ट सिटी मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन, एनजीआरबीए, नमामि गंगे तथा विश्व बैंक से प्रस्तावित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजनाओं) के अन्तर्गत भविष्य में कार्यदायी संस्था सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम को निर्गत होने वाली धनराशि से किया जायेगा। यदि भारत सरकार से विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों में डी.पी.आर. विरचन हेतु धनराशि प्राप्त होती है, तो उसका भी समायोजन अग्रिम धनराशि से की जायेगी।

(3) धनराशि का एकमुश्त आहरण न कर आवश्यकतानुसार की जायेगी तथा अवमुक्त धनराशि का कोई अंश पीएलए/ डिपाजिट खाता/बैंक /पोस्ट आफिस में नहीं रखा जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

(7) सन्दर्भित योजनान्तर्गत निर्गत गाइडलाइन्स के अनुसार धनराशि का उपयोग किया जायेगा।

(8) सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के डीपीआर विरचन पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 08.07.2015 को आहूत बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार परियोजनायें विरचित कराकर भारत सरकार को ससमय प्रेषित कराया जायेगा तथा इसके सापेक्ष केन्द्रांश की धनराशि की स्वीकृति तथा डीपीआर विरचन की धनराशि प्रतिपूर्ति करायी जायेगी।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों, उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-*"2217-शहरी विकास-05-अन्य शहरी विकास योजनाएं-191-नगर निगमों को सहायता-04-नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन-35-पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान"* के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-8-2834/दस-15, दिनांक 03 नवम्बर, 2015 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-331/2015/5807(1)/नौ-5-15-141बजट/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, वर्क्स लेखा अनुभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/बजट अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
9- राज्य योजना आयोग-2, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
10- कम्प्यूटर सेल (वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु)
11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।